न्यायालय तहसीलदार डीडवाना – नागौर (राज0)

बईजलास – श्री दयानन्द रूयल आर.टी.एस.

मु0 सं0 05/2018–19 | दायर दिनांक 25.04.2018

प्रार्थी	V/S	अप्रार्थी
पटवारी हल्का डीडवाना		श्री जाकीर हुसैन पुत्र श्री सदीक मो. जाति व्यापारी निवासी डीडवाना

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 10.04..2019

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **पटवारी हल्का डीडवाना** ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि अप्रार्थी ने ग्राम **डीडवाना** के **खसरा नम्बर 2680** किस्म **गै.मु.शमसान रकबा 12 बिस्वा** में सें 09 **बीस्वा** भूमि पर अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि में से बेदखल करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी उपस्थित रहा। लेकिन किसी प्रकार का जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

हमने हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भली भांति अध्ययन एंव पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि **खसरा नम्बर 2680** किस्म **गै.मु.शमसान रकबा 12 बिस्वा** में सें 09 **बीस्वा भूमि** पर अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया है।

अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। **अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।** अप्रार्थी को **खसरा नम्बर 2680** किस्म **गै.मु.शमसान रकबा 12 बिस्वा** में सें 09 **बीस्वा भूमि** पर से बेदखल किया जानें आदेश दिये जाते है। तथा भूमि के वार्षिक **लगान दर 1.80** रू के 50 गुणा से **रूपये 90/– अक्षरे नब्बे रूपये मात्र** की शास्ति से दण्डित किया जाता है।

भू0अ0निरीक्षक व **पटवारी हल्का** को अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखली हेतु तहरीर जारी हो एवं एवं **त0रा0ले0 कार्यालय हाजा** को मांग कायमी हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **10.04.2019** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सम्बंधित प्रविष्टियां रजिस्टर रा.लेखा सं. 4 के पृष्ठ 2 पर दिनांक 16/5/19 को अंकित की गई।
त.ल.रो.डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना
जिला–नागौर(राज.)

Scanned by CamScanner